

न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)**पीठासीन अधिकारी - आलोक रंजन (आई.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या 023/2022(रसद) (GCMS 2022/467)	दायर दिनांक 15.12.2022	निर्णय दिनांक 19.06.2024
---	---------------------------	-----------------------------

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये हनु इन्द्र सिंह प्रवर्तन निरीक्षक, गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी**बनाम**

गोपाल आचार्य की दुकान, मैन रोड गंगरार संचालक गोपाल आचार्य निवासी गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
विपक्षी

उपस्थिति :- प्रवर्तन अधिकारी
विपक्षी स्वयं उपस्थित

पैरोकार सरकार
विपक्षी

**प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6-ए
सपठित के तहत जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत**

--: निर्णय :-

प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि प्रवर्तन निरीक्षक हनु इन्द्र सिंह, गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6-ए सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 28.11.2022 को जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ के निर्देशानुसार औचक निरीक्षण पर आवेदक हनु इन्द्र सिंह प्रवर्तन निरीक्षक गोपाल आचार्य की दुकान पर पहुँचे। वक्त निरीक्षण मौके पर गोपाल आचार्य उपस्थित मिले व मौके पर घरेलु सिलेण्डर जो रिफिलिंग हेतु रखे हुए करते पाए गए एवं मौके पर अमानक 3.5 किग्रा के सिलेण्डरों में रिफिलिंग करते पाए गए। उक्त घरेलु गैस सिलेण्डर के रख-रखाव हेतु वैद्य दस्तावेज की मांग पर दुकानदार द्वारा मना कर दिया गया। तत्पश्चात् मौके पर तहसीलदार गंगरार गजराज मीणा मौके पर पहुँचे। मौके पर दुकान में उपस्थित सभी घरेलु गैस सिलेण्डर बाहर निकलवाकर तुलवा कर मापन किया गया। उक्त 02 घरेलु गैस सिलेण्डरों के मापन पर 9.5 Kg. गैस पाई गई। वक्त निरीक्षण मौके पर फर्द तलपट्टी मय अभिग्रहण सुपुर्दगीनामा तैयार किया गया। उपस्थित गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर करवाये गये तथा प्रबंधक GANGRAR INDANE GAS AGENCY के संचालक/प्रतिनिधि दीपक पारीक की सुपुर्दगी में कुल 02 घरेलु गैस सिलेण्डर व 01 अमानक सिलेण्डर दिये गये। जिसका विवरण आवेदन अनुसार है। विपक्षी द्वारा घरेलू गैस का व्यापारिक उपयोग का यह कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है



जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है। अंत में प्रार्थना की गई कि अभिग्रहित 02 घरेलू गैस सिलेण्डर व 01 अमानक सिलेण्डर मय उसमें भरी हुई 9.5 Kg. को राजसात करने की कृपा करें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। दिनांक 19.06.2024 को विपक्षी स्वयं हाजिर आये एवं जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है। विपक्षी द्वारा मौखिक आवेदन को स्वीकार किया।

इस पर हाजिर पैरोकार सरकार द्वारा प्रकरण का निस्तारण किये जाने की ईशतदुआ की गई। इस पर पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया। हाजिर पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि सरकार घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक अथवा अन्य कोई उपयोग नहीं किया जा सकता है। दिनांक 28.11.2022 को जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ के निर्देशानुसार औचक निरीक्षण पर आवेदक हनु इन्द्र सिंह प्रवर्तन निरीक्षक गोपाल आचार्य की दुकान पर पहुँचे। वक्त निरीक्षण मौके पर गोपाल आचार्य उपस्थित मिले व मौके पर घरेलू सिलेण्डर जो रिफ्लिंग हेतु रखे हुए करते पाए गये एवं मौके पर अमानक 3.5 किग्रा के सिलेण्डरों में रिफ्लिंग करते पाए गए। उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के रख-रखाव हेतु वैद्य दस्तावेज की मांग पर दुकानदार द्वारा मना कर दिया गया। तत्पश्चात् मौके पर तहसीलदार गंगार गजराज मीणा मौके पर पहुँचे। मौके पर दुकान में उपस्थित सभी घरेलू गैस सिलेण्डर बाहर निकलवाकर तुलवा कर मापन किया गया। उक्त 02 घरेलू गैस सिलेण्डरों के मापन पर 9.5 Kg. गैस पाई गई। वक्त निरीक्षण मौके पर फर्द तलपट्टी मय अभिग्रहण सुपुर्दगीनामा तैयार किया गया। उपस्थित गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर करवाये गये तथा प्रबंधक GANGRAR INDANE GAS AGENCY के संचालक/प्रतिनिधि दीपक पारीक की सुपुर्दगी में कुल 08 सिलेण्डर दिये गये। जिसका विवरण आवेदन अनुसार है। विपक्षी द्वारा घरेलू गैस का व्यापारिक उपयोग का यह कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है। अंत में प्रार्थना की गई कि अभिग्रहित 02 घरेलू गैस सिलेण्डर व 01 अमानक सिलेण्डर मय उसमें भरी हुई 9.5 Kg. गैस पाई गई। जिसका विवरण आवेदन अनुसार है। विपक्षी द्वारा घरेलू गैस का व्यापारिक उपयोग का यह कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है। सम्पूर्ण कार्यवाही मौके पर ही की गई जिसकी पुष्टि फर्द अभिग्रहण एवं सुपुर्दगीनामा से होती है जिस पर विपक्षी, गवाहान एवं GANGRAR INDANE GAS AGENCY के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार विपक्षी द्वारा घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक/अन्य उपयोग करना पाया गया जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन होने से धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्त शुदा गैस सिलेण्डर मय गैस व अन्य सामग्री राजसात (Confiscate) किये जाने योग्य है।



इसी ईशतदुआ के साथ पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली एक तरफा का चिंतन-मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का गहनता से अध्ययन/परिशीलन किया। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा विपक्षी की दुकान का मुआयना करने पर मौके पर विपक्षी के कब्जे में 02 घरेलू गैस सिलेण्डर अनाधिकृत रूप से भण्डारण करना पाया गया तथा मौके पर उक्त गैस सिलेण्डरों के संबंध में वैद्य दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डरों से अवैध गैस रिफिलिंग कर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना प्रमाणित पाया गया, जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन एवं धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। सरकार घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता है। अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डरों का अपनी दुकान पर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाता है। ऐसी स्थिति में विपक्षी से जब्त शुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर व 01 अमानक सिलेण्डर मय उसमें भरी हुई 9.5 Kg. गैस राजसात (Confiscate) किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी प्रवर्तक निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है एवं दिनांक 28.11.2022 को प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अप्रार्थी गोपाल आचार्य की दुकान, मैन रोड गंगार संचालक गोपाल आचार्य निवासी गंगार तहसील गंगार जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) से जब्त शुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर व 01 अमानक सिलेण्डर मय उसमें भरी हुई 9.5 Kg. गैस राजसात (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी उक्त गैस सिलेण्डरों एवं अन्य सामग्री के नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करावें। जब्तशुदा सामग्री के नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 19.06.2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।



(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़